न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः 139 / 2022

प्रार्थीया –

1. भंवरकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 58 जे.एस. कॉलोनी वी.के.आई.ए. जयपुर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. कमलादेवी पुत्री गोदा जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
2. गोपाल दत्तक पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
3. गोपाललाल मीणा पुत्र गोदा जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
4. गोरादेवी पुत्री गोदा जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
5. गोविन्दराम पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
6. ज्ञानीदेवी पुत्री गोदा जाति मीणा निवासी नयावास तहसील नावां।
7. बनाराम पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
8. बंशीलाल पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
9. मनीषकुमार पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
10. महावीर पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
11. मालूराम पुत्र मंगलाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
12. मालीराम पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
13. मोहरादेवी पुत्री गोदा जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
14. रमेश कुमार पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
15. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
16. लक्ष्मण पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
17. लालचन्द पुत्र सुखाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
18. लालीदेवी पुत्री गोदा जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
19. लिछमणराम पुत्र मंगलाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
20. विकास पुत्र मंगलाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
21. श्रवणलाल मीणा पुत्र गोदा जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
22. शीशपाल पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
23. सन्तोष पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
24. सुभाषचन्द पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
25. सांवरमल मीणा पुत्र गोदा जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
26. सीतादेवी पत्नि बनाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
27. हीरालाल पुत्र सुखाराम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नावां।
28. मंदिर श्री रघुनाथ जी भगवान [illegible] जरिये पुजारी राजन्दे कुमार पुत्र राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मी[illegible]ील नावां।
29. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा [illegible] राजस्थान
30. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा [illegible] मीण्डा तहसील नावां।
31. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]डा तहसील नावां।
32. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी बावत
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर. एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5, 15, 21, 24

निर्णय

दिनांक :– 18.07.2023

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम नयावास पटवा हल्का मीण्डा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकवा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकवा 2.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकवा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकवा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकवा 1.50 हैक्टर कुल रकवा 5.77 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया की कब्जा शुदा खातेदारी की स्थित चली आ रही है जिसपर प्रार्थीया काविज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उपरोक्त खसरान की भूमि का दिनांक 05.07.2021 को तहसीलदार नावां के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/30 दिनांक 22.06.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां एवं हल्का पटवारी मीण्डा ने रूबरू मौतवीरान के सामने ग्राम नयावास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकवा 5.77 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट वनाकर तहसीलदार नावां के समक्ष पेश की जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। उक्त सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट के हद–हदूद उत्तरी दिशा में – सड़क रेनवाल से मीण्डा जाने वाली, दक्षिण दिशा में– नदी, पूर्व दिशा में – खसरा नम्बर 179, 180 मन्दिर श्री रूघनाथ जी भगवान गली वाले की भूमि, पश्चिम दिशा में – खसरा नम्बर 188 अप्रार्थी संख्या 1 ता 27 के हक हिस्से की भूमि। उक्त सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की 28 मीटर भूमि खसरा नम्बर 188 के अन्दर तक आ रही है। उपरोक्त खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करके पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का सीमा को लेकर विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीया अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराके पत्थरगढ़ी करवाने की कानूनी अधिकारी है। राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकवा 5.77 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त अधिकारों की भूमि है, तहसीलदार नावां के आदेशानुसार दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट तैयार की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खसरा नम्बर 188 में 28 मीटर भूमि आ रही है, उक्त सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 10 ता 12, 14, 15 ता 17, 19 ता 28, 30, 31,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

32 के तामील सुदा नोटिस प्राप्त होने के वावजूद भी अनुपरिथत रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6, 9, 13, 18, 29 के जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील सुदा नोटिस प्राप्त होने के वावजूद भी अनुपरिथत रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5, 15, 21, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थीया ने नो ऑब्जेक्शन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 5, 15, 21, 24 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपारत किया गया।

आप्रार्थी संख्या 5, 15, 21, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नयावास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकबा 5.77 हैक्टर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा काश्त एवं आधिपत्य नहीं रहा है। तहसीलदार नावां के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/30 दिनांक 22.06.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां एंव हल्का पटवारी गीण्डा ने जो सीमाज्ञान किया है संदिग्ध है। क्योंकि उक्त कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान करने से पूर्व प्रार्थना पत्र के किसी भी अप्रार्थी को सूचित नहीं किया है। बिना सूचना के मौका स्थिति के विपरित सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की है जो सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अंकित हस्ताक्षरों से भली भांति सावित है तथा रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी करने से मना कर दिया है। प्रार्थीया की भूमि के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 188 है जिसका रकबा 2.30 हैक्टर है जो मौके पर पुरा है। मौके पर खसरा नम्बर 188 रकबा 2.30 हैक्टर से ज्यादा नहीं है प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की भूमि को हड़पने की नियत से प्रस्तुत किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होकर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की भूमि पर बेअसर है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में यह अंकित है कि अ स्थान पर खातेदारी की 28 मीटर सीमा जाती है परन्तु रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि किस खातेदारी की सीमा जाती है। आगे यह भी अंकित किया गया है कि नजरी नक्शा अनुसाी ए, बी, सी सीमा सीधी है। अगर उक्त सीमा सीधी है तो प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना पत्र एकपक्षीय संदिग्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण के कदीमी कब्जा काश्त एवं आधिपत्य की भूमि का कब्जा प्राप्त करने की नियत से प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार पत्थरगढ़ी आदेश से कब्जा किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। पत्थरगढ़ी आदेश की पालना कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना की जाती है। कदाश्चः अगर किसी की भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो उसको कब्जा प्राप्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत संबंधित राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय की अदालत में वाद प्रस्तुत करना चाहिए बाद विचारण ही न्यायालय कब्जा दिलवाता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकबा 5.77 हैक्टर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज हैं जिसका तहसीलदार नावां के आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/30 दिनांक 22.06.2021 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां एवं हल्का पटवारी मीण्डा द्वारा किया गया सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। अप्रार्थी संख्या 5, 15, 21, 24 अनुसार निरीक्षक देवलीकलां एंव हल्का पटवारी मीण्डा द्वारा किया गया सीमाज्ञान संदिग्ध हैं, क्योंकि उक्त कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान करने से पूर्व प्रार्थना पत्र के किसी भी अप्रार्थी को सूचित नहीं किया है। बिना सूचना के मौका स्थिति के विपरित सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की हैं। अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी करने से मना कर दिया हो ऐसा उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित नही है। सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार अ स्थान पर खातेदारी की 28 मीटर सीमा जाती है परन्तु रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि किस खातेदारी की सीमा जाती है। आगे यह भी अंकित किया गया है कि नजरी नक्शा अनुसार ए, बी, सी सीमा सीधी है। इस प्रकार उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट सही नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करवाना चाहते है। इस प्रकार इस प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य सीमांकन को लेकर विवाद है। **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 सीमाओं के संबंध में विवादों का निपटारा– "(1) किन्हीं सीमाओं से संबंधित किसी विवाद के मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी, जहां तक संभव हो, वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह संभव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हों तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा। (2) यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी विवाद की जांच के दौरान भू–अभिलेख अधिकारी अपने आपको इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यह बतलाया जाये कि जांच के प्रारम्भ होने से पूर्व के तीन मास के अन्दर विधि संगत अधिवासियों को अवैधानिक रूप से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया हैं तो भू–अभिलेख अधिकारी सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौनसा पक्ष कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तद्नुसार सीमा निर्धारित करेगा।"**

इस प्रकार राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकबा 5.77 हैक्टर भूमि में भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां एवं हल्का पटवारी मीण्डा द्वारा किया गया सीमाज्ञान उपलब्ध नक्शा सीट के आधार पर किया गया। इसलिए राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकबा 5.77 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी वर्तमान में उपलब्ध नक्शा लठ्ठा अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 177, 178, 181, 182, 183 कुल रकबा 5.77 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी वर्तमान में उपलब्ध नक्शा लठ्ठा अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। इस बावत तहसीलदार नावां को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ भू.अ. निरीक्षक देवलीकलां एवं पटवारी हल्का मीण्डा व देवलीकलां की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार नावां को मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराने एवं तहसीलदार नावां व राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, तहसीलदार नावां को 1000/– व भू.अ. निरीक्षक देवलीकलां को 700/– एवं पटवारी हल्का मीण्डा व देवलीकलां को 500–500/– रूपये अदा करने पर भूमि की पत्थरगढी करवायी जावे। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested